

सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त का कार्यालय

टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१०२९

OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Town Centre, CIDCO, Aurangabad - 431029

सं. महा./भ.नि./प्रयोज्यता

No. MH/AB/ 84375/PF/Compliance/APP/2012/161

दिनांक

Dated : 01.10.2012

सेवा में,

To, The proprietor,
M/s Rajaromi Electrical
P-36, Bajinagar, MIDC Walye,
Aurangabad - 431136

विषय : कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता संकेत संख्या का आबंटन।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the scheme frame there under applicability thereof-Allotment of code number.

महोदय,

Sir,s

१. आपकी फॅक्ट्री / स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दि..... से कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि:
1. Your factory / establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the scheme, framed there under with effect from 07.9.2012 (20 persons)
- (१) आपकी फॅक्ट्री / अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा १(३) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू होता है।
- (ii) Your factory is engaged in E.M.G.E. one of the industries specified in Schedule 1 to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.
२. आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा १(३) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू किया है।
- (ii) Yours is an establishment classified as to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1(3) (b) of the Act.
३. आपकी फॅक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा १ (३) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को अ-सूचिबद्ध माना गया है।
- १-क) जांच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधारपर व्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है, लेकिन इस अर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।
- (1-A) The Coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification on your records for prior periods.
- (१-ख) अधिनियम की धारा (१) (४) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं..... दि..... के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधी प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तत्कालिक रूप से दि..... से, व्याप्ति करके उसके लिए, एमएच/एबी..... यह संकेत संख्या नियत की गई है।
- (1-B) With reference to your application No..... dated..... received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 Under Section 1(4) of the Act on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/AB..... provisionally covering your establishment with effect from pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on tem by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952.

१३. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा १४-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।
13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 1952.
१४. इसके अतिरिक्त देयता की अदायगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा।
14. Besides, Prosecution could also lie from non-payment of dues and for non-submission of returns.
१५. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हे आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते हैं।
15. An inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.
16. Previous Provident Fund accumulations. If any should be transferred in the form of cash within 10 days OR in the form of securities within 30 days.

श्री / श्रीमती _____

भविष्य निधि निरीक्षक

भवदिय

सहा. भविष्य निधि आयुक्त
महाराष्ट्र, उपक्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद.

Provident Fund Inspector

Please acknowledge receipt of this communication



Your's Faithfully

K. E. S. Oakwad
Asst. Provident Fund Commissioner,
Maharashtra, S.R.O. Aurangabad.